संख्या:– 318/XIV–1/2017–5(2)/2017

प्रेषक,

बी0एम0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनांक 10 अप्रैल,2017

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारिता न्यायाधिकरण" की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31मार्च, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारिता न्यायाधिकरण" की विभिन्न मदों के अधीन स्वीकृत धनराशि रू0 45,39,000.00(पैंतालिस लाख उनतालिस हजार मात्र) के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद–01–वेतन–03–मंहगाई भत्ता–06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0–5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0–13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को

(6) वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या संम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(7) अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(8) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारिता न्यायाधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	मानक मद का नाम	लेखानुदान द्वारा (01अप्रैल,2017 से 31 जुलाई,2017) तक बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017–18 (01अप्रैल,2017 से 31 जुलाई,2017)हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	3360	3360
02	मजदूरी	23	23
03	महगाई भत्ता	201	201
04	यात्रा भत्ता	3	3
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	3	3
06	अन्य भत्ते	157	157
07	मानदेय	03	03
08	कार्यालय व्यय	33	33
09	विद्युत देय	08	08
10	जलकर / जल प्रभार	03	03
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	07	07
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17	17
13	टेलीफोन पर व्यय	17	17
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों / मोटर	[illegible]	[illegible]

45	अवकाश यात्रा व्यय	33	33
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20	20
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	17	17
	योग–	**4539**	**4539**

(रूपये पैंतालिस लाख उनतालिस हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनाक 31 मार्च, 2017 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(बी0एम0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या:– 318(1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सचिव,सहकारी न्यायाधिकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर,देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनुसचिव

संख्याः– 340/XIV–1/2017–5(3)/2017

प्रेषक,

बी0एम0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 10 अप्रैल,2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31मार्च, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत **'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण'** की विभिन्न मदों के अधीन स्वीकृत **धनराशि रू0 17,70,000.00(सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र)** के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद–01–वेतन–03–महंगाई भत्ता–06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0–5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0–13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा

(6) वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(7) अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(8) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेंजिग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–001–निदेशन तथा प्रशासन, 06–सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	मानक मद का नाम	लेखानुदान द्वारा (01अप्रैल,2017 से 31 जुलाई,2017) तक बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017–18 (01अप्रैल,2017 से 31 जुलाई,2017)हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	1016	1016
02	मजदूरी	07	07
03	महंगाई भत्ता	62	62
04	यात्रा भत्ता	17	17
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	01	01
06	अन्य भत्ते	47	47
07	मानदेय	01	01
08	कार्यालय व्यय	40	40
09	विद्युत देय	10	10
10	जलकर/जल प्रभार	02	02
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	07	07
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17	17
13	टेलीफोन पर व्यय	08	08
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियोंका क्रय	00	00

46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	17	17
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10	10
	योग–	1770	1770

(रूपये सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(बी0एम0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्याः–३५० (1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सचिव सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर,देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनुसचिव